

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेस विज्ञापित

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

सी०डब्लू०जे०सी० संख्या- 8760/2019 एवं 9152/2019 राम मनोहर पाण्डेय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 05.08.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) No. 24154-24155 /2019 (XVI) में दिनांक- 22.11.2019 को पारित आदेश के आलोक में विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में विभागीय पत्रांक- 877 दिनांक-08.03.2019 एवं पत्रांक-875 दिनांक-08.03.2019 द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर संविदा नियोजन एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभागीय पत्रांक-863 दिनांक-07.03.2019, पत्रांक-873 दिनांक- 08.03.2019 एवं पत्रांक-880 दिनांक-08.03.2019 द्वारा व्याख्याता पद पर संविदा नियोजन, संबंधी प्रक्रिया एवं विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है।


13.12.19
सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।